संख्या जैड-28016/117/2023-पीएमएसएसवाई-IV-पार्ट(1)
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(पीएमएसएसवाई प्रभाग)

कमरा नंबर 201-डी, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110001

वेबसाइट: https://main.mohfw.gov.in और http://pmssy.mohfw.gov.in
टेली: 011-23061730

एम्स (i) बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश),(ii) विजयपुर (जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र), (iii) राजकोट (गुजरात) और (iv) मदुरै (तमिलनाडु) में कार्यकारी निदेशक के पद हेतु विज्ञापन।

एम्स (i) बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश),(ii) विजयपुर (जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र), (iii) राजकोट (गुजरात) और (iv) मदुरै (तमिलनाडु) में प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालिक संविदा/ संविदा के आधार पर **कार्यकारी निदेशक** के पद को भरने के लिए अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **अर्हता:**

क. मेडिसिन या सर्जरी या जन स्वास्थ्य और उनकी शाखाओं में स्नातकोत्तर अर्हता ।
ख. शिक्षण और/ अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष का अनुभव ।
ग. पेशे में पच्चीस वर्ष का कार्य अनुभव ।
घ. चिकित्सा राहत, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या जन स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में सघन व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव और किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख या विभागाध्यक्ष के रूप में इसके संचालन का पर्याप्त अनुभव ।
ङ. पात्रता के लिए संस्थान के प्रमुख या विभागाध्यक्ष के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा। इस मानदंड के लिए प्रासंगिक अनुभव के रूप में निम्नलिखित प्रकार के कार्य अनुभव मान्य किए जाएगें: –

i. संस्थान प्रमुख	v. इकाई प्रमुख
ii. विभागाध्यक्ष	vi. डीन
iii. चिकित्सा अधीक्षक	vii. उप डीन
iv. नैदानिक विभागाध्यक्ष	viii उपरोक्त के समान अनुभव

3. **अधिकतम आयु सीमा:**

67 वर्ष तक (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार)।

4. **वेतन और भत्ते:**

□. वेतन मैट्रिक्स 182200-224100/- रु. (7वें सीपीसी के अनुसार) में लेवल 15; (पदधारी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि का भी हकदार होगा)
□. संस्थान के परिसर में आवासीय आवास एफआर 45 के तहत मानक किराए के भुगतान पर या वेतन के 10%, के भुगतान पर, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
□. अन्य स्वीकार्य भत्ते

5. **पद का कार्यकाल:**

प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालिक संविदा/ संविदा के आधार पर नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी जिसे 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है।

6. **परिवीक्षा:** परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए होगी।

7. **आवेदन की प्रक्रिया:**

पात्र उम्मीदवार प्रोफार्मा में प्लेन पेपर पर विज्ञापन की संख्या और तिथि का हवाला देते हुए इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवारों को अपने संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से अपने आवेदन अग्रेषित करने चाहिए। आवेदनों को अग्रेषित करते समय, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को भी अग्रेषित करना चाहिए:

i. आवेदक के संबंध में सतर्कता निकासी, जो उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित हो ।

ii. आवेदक के संबंध में संवर्ग मंजूरी, जो उपयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित हो ।

iii. अधिकारी पर उसकी सेवा अवधि के दौरान लगाई गई कोई शास्ति, बडी या लघु, का विवरण ।

iv. अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अचल संपत्ति विवरणी की प्रति ।

v. संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की तारीख से पहले आवेदक के पूर्ण एसीआरडोजियर / पूर्ण एसीआर डोजियर की सत्यापित प्रतियां (पिछले पांच वर्षों की) उपलब्ध कराएगा ।

8. **अन्य सूचना**

i. पद के लिए निर्धारित अर्हता, आयु, अनुभव आदि के अनुसार पात्रता निर्धारित करने की प्रभावी तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

ii. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि **रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 वें दिन** होगी।

iii. देरी से प्राप्त और अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv. किसी भी प्रकार की अनुयाचना उम्मीदवारी की अयोग्यता का कारण बनेगी।

v. आवेदन का प्रारूप वेबसाइट: http://main.mohfw.gov.in & http://pmssy.mohfw.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

vi. सभी दृष्टि से भरे हुए प्रपत्र को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए:

श्री दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक (पीएमएसएसवाई), कमरा नंबर 201-डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110001

9. **सामान्य शर्त/सूचना:**

(i) कार्यकारी निदेशक संबंधित संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करेंगे। इस पद का संचालन संबंधित संस्थान में किया जाएगा।

(ii) निर्धारित योग्यता न्यूनतम आवश्यकता है और इसे पूरा करने से उम्मीदवार स्वतः ही साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं हो जाते हैं।

(iii) प्रपत्र के भाग के रूप में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आवेदनों की जांच की जाएगी। केवल शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(iv) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं होने वाले आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) साक्षात्कार खोज एवं चयन समिति (एससीएससी) द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(vi) एससीएससी को स्वत: ही किसी भी उम्मीदवार पर विचार करने और साक्षात्कार के लिए उसे आमंत्रित करने का भी अधिकार है ।

(vii) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने आवेदनों में प्रस्तुत विवरण के प्रमाण के रूप में सभी संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(viii) उम्मीदवार अग्रिम प्रति के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए एनओसी, सतर्कता निकासी और उनके एपीएआर उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा समय पर भेजे जाएं ।

दिनेश कुमार

(दिनेश कुमार)
संयुक्त निदेशक
टेलीफोन नं. 011-23061730